ISSN 2395-0512

न्याय एवं अधिकार का लक्ष्य और भारतीय लोकतंत्र

डॉ. रजनी दुवे
एसो. प्रोफेसर - राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

संविधान के अनुसार भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक राज्य है जहां पर सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। भारत की राजनीति संयुक्त संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक राज्य के ढ़ाचे में सभी है जहां पर प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और बहुदलीय तंत्र होता है। शासन एवं सत्ता निर्वाचित सरकार के हाथ में होती है। संयुक्त वैधानिक बागडोर सरकार एवं संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्य सभा के हाथ में होती है। न्याय पालिका व्यवस्थापिका एवं कार्य पालिका दोनो से स्वतंत्र होती है।

इसे हम अपना सौभाग्य ही कह सकते है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते है पहचाने जाते है। निसंदेह भारत में लोकतंत्र का अतीत बहुत पुराना है और इसकी जड़े हमारे यहां बहुत गहराई तक बैठी हुयी है हमारे लोकतंत्र मे भी कुछ खामियां आ गई है। क्षरण प्रकृति का नियम है। इसलिए समय के साथ-साथ हमारे लोकतंत्र में भी कुछ ऐसी चीजें आ गई है जिनके कारण लोकतंत्र से हमारा विश्वास डगमगाने लगा है।

पूरी दुनिया में लोकतंत्र के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही यह माना जा रहा था कि शीत युद्ध के बाद सब कुछ ठीक हो जायेगा लेकिन शीत युद्ध में अमरीका,चीन के दावे के बाद भी आज लोकतंत्र के बुनियादी लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका है। सच्चाई यह है कि अति विकसित देशों में मानव-अधिकारों के रक्षक के रूप में लोकतंत्र उतना सफल नहीं हो सका है जितनी उम्मीद की जा रही थी। यूरोप और अमरीका के बहुत सारे संगठनों ने शोध के बाद तय किया है कि एक अवधारणा के रूप में लोकतंत्र को रिफरेस करने की जरूरत है शीतयुद्ध के बाद भविष्यवाणी की गई थी कि एक राजनीतिक, विधा के रूप में लोकतंत्र सबसे बड़ी कारगर और सफल व्यवस्था बनी रहेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती न्याय और अधिकारों की सुपुर्दगी की है। इन्सानी मूल्यों के पोषक और रक्षक के रूप में राज्य और सरकार की उपयोगित पर सवाल उठ रहे है। मनुष्य और मानवता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोकतंत्र सबसें जरूरी और उपयोगी साधन है। लेकिन आज जो चुनौतियां है वे इसी बात को रेखांकित कर रही है कि लोकतंत्र विकास की तरकीबों में सुधार और गैर बराबर के हालात को कम करने में नाकाम पाया जा रहा है दुनिया के हर हिस्सें में हिंसक संघर्ष हो रहे है। लोकतंत्र को इस खामी को ठीक करना होगा ।

लोकतंत्र की स्थापना में संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है लेकिन लोकतंत्र पूरी तरह संस्थाओं के माध्यम से नही चलाया जा सकता। यह भी जरूरी है कि लोकतंत्र की संस्थाओं को टिकाऊ बनाने के लिए प्रयास किये जाये। इन संस्थाओं को न्याय के वाहक के रूप में विकसित करने के लिये जरूरी है कि लोकतंत्र की संस्कृति को संस्थागत रूप देने की कोशिश की जाये। लोकतंत्र की संस्थाओं से जो अधिकार मिलने हैं उनका प्रयोग न्याय और बराबरी का निजाम कायम करने के लिये किया जाये।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियाँ कई स्तरों पर है लेकिन सबसे बड़ी और महत्तवपूर्ण खामी है हमारी निर्वाचन प्रणाली में, अर्थात् चुनाव होने के तरीकें में। चुनाव या निर्वाचन को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है,जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है,और उन्हें सत्ता सौप देती है, इसीलिये चुनावों को लोकतंत्र में 'महोत्सव' की संज्ञा दी जाती है। दुर्भाग्य से आज हमारी चुनाव प्रक्रिया में कुछ खामियां आ गई है। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव आज वक्त की जरूरत है क्योकि इन सुधारों के बिना लोकतंत्र के आस्तिव को बचाये रखना संभव नहीं हैं। माना जाता है कि किसी देश में लोकतंत्र विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता रूपी चार स्तम्भों पर टिका होता है। लोकतंत्र के इन चारों पायों से अपेक्षा की जाती है कि ये अपने अपने दायित्व पूरी ईमानदारी से निभायेगें ताकि आम जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। आज जब विधायक और कार्यपालिका चुनाव सुधार के संबध मे अपनी उपयोगिता और सार्थकता पूरी तरह से खो चुके हैं तो सभी की नजरे न्यायपालिका पर टिकी है और न्यायपालिका ने भी आम जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचायी है न्यायपालिका ने समय समय पर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिये है जो चुनाव सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे है।

सर्वोच्च न्यायालय अपनी तरह की अकेली संस्था है जिसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनु.124 में भारत के लिये एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और यह देश के किसी भी उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील सुन सकता है अनु.145 में प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के साथ साथ किसी भी संवैधानिक विषय पर अपना फैसला सुना सकता है। इसके अलावा माननीय राष्ट्रपति भी विधि के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परार्मश मांग सकते है, यद्यपि वे इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

संविधान के अनु.157 में स्पष्ट्र कहा गया है कि अपने पुनावलोकन के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायलय, संसद या विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों की जांच कर उन्हें वैध या अवैध घोषित कर सकता है संसद, विधि बनाकर भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को घटा नहीं सकती है। क्योकि इससे संविधान की मूल भावना आहत होती है लेकिन फिर भी संसद कानून बना कर सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में कुछ कटौती कर सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका से भी ऊपर रखा है ओर पूरा प्रयास किया है कि हमारी न्यायपालिका किसी भी प्रकार के दबावों से पूरी तरह मुक्त रहे।

न्यायपालिका अपनी इस सर्वोच्च स्थिति का फायदा चुनाव सुधारों की दिशा में उठा सकती है। और समय समय पर उसने ऐसा किया भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार विधायिका के गलत निर्णयों को ठीक किया है तो कई बार उसने चुनाव आयोग के तानाशाही रवैये पर भी लगाम कसी है।

लोकतंत्र की सफलता के लिये जरूरी हे कि जनता में लोकतांत्रिक सिद्धांतों व मूल्यों के प्रति विश्वास पैदा हो। इसके अलावा जनता बौद्धिक रूप से जागरूक भी हो। जनता इतनी समझदार और शिक्षित होनी चाहिये कि वह सार्वजनिक समस्याओं पर खुलकर अपने विचार रख सके।

लोकतंत्र तभी फल-फूल सकता है जब वैधानिक परम्पराओं के प्रति निष्ठ रखी जाये एक सफल लोकतंत्र वहीं पाया जाता है जहां जन साधारण में राजनैतिक जागरूकता होती है सार्वजनिक प्रश्नों के प्रति अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करने की तमन्ना होती है। यदि ऐसे जागरूक और सच्चे लोग चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग करें तो कोई कारण नहीं कि लोकतंत्र सफल न हो सकें।

सामाजिक न्याय भी लोकतंत्र की सफलता के लिये आवश्यक है। सामाजिक न्याय का आशय है

व्यक्तिव के विकास के लिये प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलना। न्याय और कानून की दृष्टि में भी सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिये। सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र की कल्पना बेमानी होगी।

लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये जरूरी है देश में शांति का वातावरण हो,सुरक्षा का माहौल हो ताकि जनता स्वतंत्रतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। लोकतंत्र की मांग है कि शक्ति और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो,सत्ता एक हाथ से निकल कर कई हाथों में बंटे।

राजनीति विज्ञान के विख्यात प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय ने अपनी पुस्तक बैटिल्स हाफ वनः इण्डियाज इक्प्राबेबिल डेमोक्रेसी में लिखा है कि भारत की आजादी के बाद तीन परियोजनायें सबसे महत्वपूर्ण थी जिनको कि नयें लोकतंत्र को हासिल करना था।

पहली राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर मौजूद भारतीयों के लिये न्याय सुनिश्चित करना और उनकों गरिमापूर्ण जीवन देना और तीसरी चारों तरफ फैली गरीबी को खत्म करना। सभी राष्ट्रो के लिये इस तरह के लक्ष्य रखना सामान्य बात है। हमारे संस्थापकों ने मंसूबा बनाया था कि आजादी का लाभ सबको मिल सके और उसी जद्दोजहद में शुरू से हमारा लोकतंत्र लगा हुआ है। पिछले 70 वर्षो के सफर में बहुत अड़चने आई लेकिन भारत की लोकशाही की खासियत है कि समय समय पर उनको सुधारने की कोशियें भी जारी रही। लेकिन सच यह है कि सही लोकतंत्र की स्थापना के लिये बहुत अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है हमारें यहां लोकतंत्र अभी शैशवकाल से ही गुजर रहा है यहां अभी तक प्रजातांत्रिक समाज की स्थानना नहीं होपायी है। समाज की प्रत्येक बुराई के लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही है। किसी भी प्रकार की शासन-व्यवस्था का जीवन और उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण कर पाती है जो आगे चलकर उसे चला सकें। शासन-व्यवस्था जैसे लोगों का विकास करेगी। वैसे लोग ही समाज और राजनीति को नेतृत्व प्रदान करेगे।,और नेतृत्व से ही लोकतंत्र का भविष्य तय होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को ठीक प्रकार से समझे और उसकी राजनीतिक सहभागिता सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़े तभी न्याय एवं अधिकार के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

संदर्भ

1. लोकतंत्र और चुनाव सुधार : डॉ. निशांन सिंह
2. भारत में केन्द्र राज्य संबंध : डॉ. बी.एल.फड़िया
3. भारतीय राजनीति का बदलता परिदृश्य : मानचन्द खंडेला
4. योजना : लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार
5. योजनाः बदलते आयाम
6. स्वतंत्र भारत का राजनीति सफरः कमलकांत सहाय
7. अन्य समाचार पत्र एवं पत्रिकायें
8. भारत में लोकतंत्र और निर्वाचनः अशोक शर्मा, अनुसंधान एवं विश्द् अध्ययन संस्थान, जयपुर सन् 1994
9. आधुनिक लोकतंत्रः अनुवादक ओमप्रकाश दीपक नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली सन् 1988
10. भारत मे निर्वाचन राजनीतिः पदमनाथ शर्मा, सरूप एंड नई दिल्ली सन् 1993